पंकज जैन, आई.ए.एस

सचिव

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

247, 'ए' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001

दूरभाष-230607,23061245 फैक्स- 23062715

ईमेल- secydws@nic.in

वैबसाइट- www.ddws.nic.in

अं.शा.सं: 2180/एस(डीडब्ल्यूएस)/2014,

दिनांक-16 सितम्बर, 2014,

प्रिय,

विषय: दिनांक 25.9.2014 से 23.10.2014 तक "राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान" की शुरूआत।

जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार दिनांक 2 अक्टूबर, 2019, जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी, तक स्वच्छ भारत की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

देश में स्वच्छता की विकट स्थिति को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है लोगों की मानसिकता को बदलना अर्थात् स्वच्छता के प्रति सामान्य उदासीनता को बदलना। यह तभी संभव है जब ''स्वच्छता के मिशन'' को जन आंदोलन का रूप मिले।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ''स्वच्छ भारत मिशन'' की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है, ताकि स्वच्छ भारत की प्राप्ति में गतिशीलता आए और ''एक सार्वजनिक स्वच्छता आंदोलन'' की शरुआत हो। इसी संबंध में भारत सरकार का प्रस्ताव है कि दिनॉक 25 सितंबर, 2014 को ''राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान'' की शुरुआत की जाए जो 23 अक्टूबर, 2014 तक चलाया जाए।

अभियान का फोकस निम्नलिखित पर होगा:-

i. राहों की सफाई करके और ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन द्वारा गांवों को स्वच्छ रखने हेतु जागरूकता फैलाना।
ii. सुरक्षित स्वच्छता और शौचालय के निर्माण और उसके उपयोग पर जागरूकता फैलाना।
iii. साबुन से हाथ धोने की महत्ता।

iv. बच्चों के मल का सुरक्षित निपटान।
v. पेयजल का सुरक्षित रूप से उपयोग और भंडारण।

- उपर्युक्त मुद्दों का संदेश बांटने हेतु विभिन्न आईईसी/आईपीसी गतिविधियाँ चलाई जाएँ (प्रत्येक ग्रामीण घरों का दौरा सहित)। संप्रेषण के दौरान इस बात पर बल देना आवश्यक है कि स्वच्छता लोगों के जीवन को बीमारियों की घटनाओं को कम करके प्रभावित करेगा और महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ाएगी। इससे अर्थव्यवस्था और जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- प्रत्येक ग्रामीण घरों तक स्वच्छता के संदेश को पहुँचाने के लिए छात्र ''स्वच्छता दूत'' के रूप में कार्य करें।
- यह आवश्यक है कि सरकार के सभी विभागों के लिए यह एक अभियान हो क्योंकि राज्य से पंचायत स्तर तक के सभी सरकारी कार्मिकों को इस अभियान से जोड़ना आवश्यक है। एनसीसी, एनएसएस, बालक स्काउट, बालिका स्काउट, एनवाईके स्वयंसेवी आदि संगठनों के साथ स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत स्तर/ग्राम स्तर, सरपंचों, पंचायत सदस्यों, ब्लाक समन्वयकों, आशा कार्यकर्ताओं, स्वच्छता दूतों, शिक्षकों, राजस्व कार्यकर्ताओं और विभिन्न विभागों के सभी विभागीय कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा।

राज्य, जिला तथा ग्राम पंचायत स्तरों पर दखल के अतिरिक्त स्वच्छता अभियान का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति तक पहुचाना होगा। घरेलू स्तर पर गहन गतिविधियाँ चलाई जानी चाहिए। प्रत्येक पंचायत में कवरेज सुनिश्चित करने और प्रत्येक परिवार को शौचालय बनाने और उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करने पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए। अत: जन संचार (रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों), डिजीटल संचार (श्रब्य संदेश), डायरेक्ट मीडिया (होर्डिंग, पोस्टर, दीवार पर चित्रकारी, बस पैनल) और प्रोत्साहनात्मक मीडिया (नुक्कड नाटक, डॉक्यूमेंटरी फिल्म) का उपयोग करके प्रभावशाली योजना तैयार करने के अतिरिक्त स्वच्छता अभियान को घरेलू स्तर पर अंतर वैयक्तिक संप्रेषण के व्यापक उपयोग पर बल देना चाहिए। योजना का आधार प्रत्येक परिवार तक पहुँचना चाहिए। स्वच्छता मेला/रैली आयोजित करके छात्रों द्वारा स्थानीय भाषा के बैनर/चित्र सहित पद यात्रा/दौड़ के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर के समुदाय में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए।

2. इस प्रयास को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि संभावित हिस्सेदारों को व्यापक स्तर पर इससे जोड़ा जाए। इनमें निम्न शामिल हो सकते हैं:

i. आईईसी परामर्शदाता, स्वच्छता दूत, ब्लाक तथा जिला समन्वयक और वीडब्ल्यूएससी सदस्य,

ii. स्कूली छात्र,

iii. आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एसएचजी समूह, स्कूली शिक्षक, चिकित्सक, पीआरआई, पटवारी और सभी विभागों के ग्राम स्तर के कार्यकर्ता,

iv. दृश्यमानता तथा स्वीकरणीयता हेतु स्थानीय नेतागण और धार्मिक गुरू,

v. एसससी, बालक स्काउट, बालिका गाइड, नेहरु युवक केन्द्र की सेवाएँ,

vi. विभिन्न स्तरों तक पहुँचने के लिए रोटेरी तथा लायंस क्लब और ऐसे ही अन्य संगठन।

vii. देश भर के ऐसे ही मान्यता वाले तथा प्रख्यात एनजीओ, सीएसओ, एसएचजी विशेष रुप से महिला एसएचजी,

viii. राज्य स्वास्थ्य महिला और बाल कल्याण और स्कूली शिक्षा विभाग जैसे अन्य विभागों के अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं और यह अनुरोध कर सकते हैं कि वे स्वच्छता अभियान के दौरान अपने कार्मिकों की सेवाएँ दें।

ix. बहुपक्षीय संगठन जैसे यूनीसेफ, डब्ल्यूएसपी जीएसएफ, डब्ल्यूएसएससीसी।

x. सुलभ, वाटरऐड, प्लैन, अर्घ्यम, वाटर फॉर पीपल जैसी ऐजेन्सियाँ।

xi. संचार प्रतिनिधि।

- सभी राज्य अभियान के लिए व्यापक दैनिक योजना तैयार करें जिसमें चलाई जाने वालीं गतिविधियों का ब्यौरा हो। दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को ग्राम पंचायत में स्वच्छता पर बल देते हुए एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाए।

एक संक्षिप्त “राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान चलाने के लिए सूचित कार्य योजना” संदर्भ हेतु संलग्न है। इसी प्रकार से राज्य कार्य योजना व्यापक रूप से तैयार की जाए।

किस प्रकार से “राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान” आयोजित किया जाए इस विषय पर विस्तृत आंकड़ा आधारित गतिविधि योजना (राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर) दिनांक 23 सितम्बर 2014 तक इस मंत्रालय से साझा की जाए।

- एनबीए-आईईसी के अंतर्गत उपलब्ध निधियाँ स्वच्छता अभियान के लिए उपयोग की जाएँ।
- इसके लिए यूनीसेफ, डब्ल्यूएसपी, एनजीओ जैसे संगठन और किसी अन्य स्वच्छता सेवा संगठनों के साथ मंत्रालय से सहायता ली जानी चाहिए। कई राज्यों तथा संगठनों ने बेहतरीन गुणवत्ता की आईईसी सामग्री तैयार की है जिसे अन्य राज्यों के साथ बाँटा जा सकता है।
- सभी राज्यों से अनुरोध है कि वे शीघ्र ही स्वच्छता अभियान के लिए राज्य नोडल अधिकारी की पहचान करें और आगे के संवाद हेतु उनका नाम, संपर्क न० तथा ई-मेल पता इस मंत्रालय को भेजें।

3. “समुदाय चालित संपूर्ण स्वच्छता” (सीएलटीएस) पर विशेषज्ञ की सहायता के साथ-साथ शौचालय की मांग को वास्तविक "प्रोत्साहन” देने की आवश्यकता है।

4. किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/ समर्थन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से सहायता ली जा सकती है:-

श्री सुजॉय मजुमदार, निदेशक(एनबीए)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

ई-मेल- sujoy.m@nic.in दूरभाष- 011-24364427, मो०- 9717402345

सुश्री संध्या सिंह, संयुक्त निदेशक(आईईसी)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

ई-मेल- sandhya.singh@nic.in, फोन:- 01124364112 मो- 7838115499

श्री श्रीनाथ, आईईसी परामर्शदाता(डब्ल्यूएसपी)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

फोन: 01124364427 मो०- 09873483715

5. यह नोट किया जाए कि स्वच्छता अभियान में 15 अक्टूबर, 2015 को धुलाई दिवस के कार्यक्रम शामिल होंगे और उसके बाद आयोजित किए जाएंगे।

सादर,

भवदीय,

संलग्नक- यथोक्त

(पंकज जैन)

सेवा में,

राज्यों के सभी मुख्य सचिव।